



डॉ अखिलेश कुमार सरोज

समाज में महिलाओं की भूमिका: चुनौतियाँ और संभावनाएं

असिस्टेंट प्रोफेसर— समाजशास्त्र विभाग, डॉ राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय ढिन्हुई, प्रतापगढ़ (उत्तराखण्ड)

मारत

Received-14.03.2024, Revised-20.03.2024, Accepted-25.03.2024 E-mail: akhileshsaroj.mspg@gmail.com

सारांश: आजादी के बाद महिलाओं की समाज में सम्मान बढ़ा, लेकिन उनके सशक्तिकरण की गति दशकों तक धीमी रही। गरीबी व निरक्षरता महिलाओं की प्रगति में गंभीर बाधा रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल के माध्यम से महिलाओं को व्यवसाय की ओर प्रोत्साहित कर इन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है। अपनी उत्पत्ति पर वापस जाकर, हम देख सकते हैं कि महिलाएं न केवल जैविक रूप से, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। हमारे वेदों और प्राचीन ग्रंथों में प्राचीन काल से ही महिलाओं का उल्लेख किया गया है और उन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिए गए हैं।

महिलाओं के योगदान के कारण ही रामायण और महाभारत के ग्रंथों पर काफी प्रभाव पड़ा और महिलाओं के कारण ही वे सबसे पवित्र बन सके। लेकिन पिछले कुछ सदियों में महिलाओं की स्थिति बदतर होती गई है। यहले, महिलाओं को गृहस्वामी कहा जाता था। यह सोचा गया और दूसरों तक पहुंचाया गया कि महिलाएं शादी करने, घर और अपने सुसुराल वालों की देखभाल करने और अपने पति और बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए अपनी सभी आकांक्षाओं का त्याग करने के लिए बनी हैं। इसके अलावा, महिलाओं को स्कूल से बाहर रखा जाता था क्योंकि परिवारों का मानना था कि केवल लड़के ही शिक्षित होने और उनकी आकांक्षाओं का पालन करने के योग्य हैं।

कुंजीभूत शब्द— सशक्तिकरण, निरक्षरता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, प्रोत्साहित, आर्थिक रूप, जैविक रूप, सांस्कृतिक रूप।

महिलाओं की शादी कम उम्र में और कमी—कमी उनकी सहमति के बिना कर दी जाती थी। उन्हें कई अमानवीय प्रथाओं, सामाजिक उपेक्षा और उन्हें सीमित करने के लिए बनाए गए अनुष्ठानों का भी सामना करना पड़ा है, और उन्हें अक्सर इंसानों के बजाय वस्तुएं माना जाता है। हमारे समाज में महिला अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम किरदार निभाती है। अपनी सभी भूमिकाओं में निपुणता दर्शाने के बावजूद आज के आधुनिक युग में महिला पुरुष से पीछे खड़ी दिखाई देती है। पुरुष प्रधान समाज में महिला की योग्यता को आदमी से कम देखा जाता है। सरकार द्वारा जागरूकता फैलाने वाले कई कार्यक्रम चलाने के बावजूद महिला की जिंदगी पुरुष की जिंदगी के मुकाबले काफी जटिल हो गयी है। महिला को अपनी जिंदगी का ख्याल तो रखना ही पड़ता है साथ में पूरे परिवार का ध्यान भी रखना पड़ता है। वह पूरी जिंदगी बेटी, बहन, पत्नी, माँ, सास, और दादी जैसे रिश्तों को ईमानदारी से निभाती है। इन सभी रिश्तों को निभाने के बाद भी वह पूरी शक्ति से नौकरी करती है ताकि अपना, परिवार का, और देश का भविष्य उज्ज्वल बना सके।

बीते कुछ सालों में सरकार द्वारा अनिवार्य योजनाएं चलाई गयी हैं जो महिलाओं को सामाजिक बेड़ियाँ तोड़ने में मदद कर रही हैं तथा साथ ही साथ उन्हें आगे बढ़ने में प्रेरित कर रही है। दिन प्रतिदिन लड़कियां ऐसे ऐसे कीर्तिमान बना रही हैं जिस पर न सिर्फ परिवार या समाज को बल्कि पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। आज अगर महिलाओं की स्थिति की तुलना सैकड़ों साल पहले के हालात से की जाए तो यही दिखता है महिलायें पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से अपने सपने पूरे कर रही हैं। पर वास्तविक परिपेक्ष में देखा जाए तो महिलाओं का विकास सभी दिशाओं में नहीं दिखता खासकर ग्रामीण इलाकों में। अपने पैरों पर खड़े होने के बाद भी महिलाओं को समाज की बेड़ियाँ तोड़ने में अभी भी काफी लंबा सफर तय करना है। आज भी समाज की भेदभाव की नजरों से बचना महिलाओं के लिए नामुमकिन सा दिखता है। ऐसा लगता है कि पुरुष और महिला के बीच की इस खाई को भरने के लिए अभी काफी बहुत और लग सकता है।

महिलायें समाज के विकास एवं तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके बिना विकसित तथा समृद्ध समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्रिंधम यंग के द्वारा एक प्रसिद्ध कहावत है की 'अगर आप एक आदमी को शिक्षित कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक आदमी को शिक्षित कर रहे हैं पर अगर आप एक महिला को शिक्षित कर रहे हैं तो आप आने वाली पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं। समाज के विकास के लिए यह बेहद जरूरी है की लड़कियों को शिक्षा में किसी तरह की कमी न आने दे क्योंकि उन्हें ही आने वाले समय में लड़कों के साथ समाज को एक नई दिशा देनी है। ब्रिंधम यंग की बात को अगर सच माना जाए तो उस हिसाब से अगर कोई आदमी शिक्षित होगा तो वह सिर्फ अपना विकास कर पायेगा पर वहीं अगर कोई महिला सही शिक्षा हासिल करती है तो वह अपने साथ साथ पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती। सरकार ने पुराने वक्त के प्रचलनों को बंद करने के साथ साथ उन पर कानून रोक लगा दी है। जिनमें मुख्य थे बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी, घरेलू हिंसा आदि। इन सभी को कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने के बाद समाज में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है। महिला अपनी पूरी जिंदगी अलग अलग रिश्तों में खुद को बाँधकर दूसरों की भलाई के लिए काम करती है।

महिलाओं के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे पागलपन ही कहा जाएगा कि उनकी प्रतिमा को सिर्फ इसी तर्क पर नजरअंदाज कर दिया जाए कि वे मर्द से कम ताकतवर तथा कम गुणवान हैं। भारत की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती हैं। अगर उनकी क्षमता पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका साफ साफ मतलब है देश की आधी जनसंख्या अशिक्षित रह जाएगी और अगर महिलाएं ही पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वह देश कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। हमें यह बात समझनी होगी कि अगर एक महिला अनपढ़ होते हुए भी घर इतना अच्छा संभाल लेती है तो पढ़ी लिखी महिला समाज और देश को



कितनी अच्छी तरह से संमाल लेगी।

महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकार- पिछले हजारों सालों में समाज के अन्दर महिलाओं की स्थिति में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। अगर गुजरे चालीस-पचास सालों को ही देखे तो हमें पता चलता है की महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिले इस पर बहुत ज्यादा काम किया गया है। पहले के जमाने में महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर सख्त पाबन्दी थी। वे घर की चारदीवारी के अन्दर रहने को मजबूर थी। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही था की उन्हें अपने पति और बच्चों का ख्याल रखना है। महिलाओं के साथ न तो पुरुषों जैसा व्यव्हार किया जाता था और न ही उन्हें पुरुषों जैसी अहमियत दी जाती थी। अगर वेदों के समय की बात की जाए तो उस वक्त महिलाओं की शिक्षा-दीक्षा का खास ख्याल रखा जाता था। इसके उदाहरण हम प्राचीन काल की पुस्तकों में भी देख सकते हैं। अगर हम वेदों का अध्ययन करे तो उसमें हमें यह साफ देखने को मिलता है की उस वक्त की औरतों को अपनी शिक्षा पूरी करने की छूट थी तथा उनका विवाह भी उन्हीं की रजामंदी से होता था। गार्भी और मैत्री नाम की दो महिला संतों का उदाहरण रिगवेद और उपनिषदों में दिया हुआ है। इतिहास की मानें तो महिलाओं का पतन समृतियों (मनुसमृति) के साथ शुरू हुआ। धीरे धीरे भारत में इस्लामी और ईसाई आगमन से महिलाओं से उनके हक छिनते चले गए। महिलाएं सामाजिक बेड़ियों में बंधकर रहने लगी जिनमें प्रमुख थी सती प्रथा, बालकविवाह, बालश्रम, विधवाओं के पुनःविवाह पर रोक आदि।

पर्दा प्रथा की शुरुआत भारत में मुस्लिम धर्म के आने के बाद हुई। राजस्थान के राजपूत समाज द्वारा गौहर नाम के रिवाज का अनुगमन किया जाता था। मंदिर में जो महिलाएं थी उनका अभीर तथा प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता था। पर आज के समय की बात की जाए तो महिलाएं हर क्षेत्र (जैसे राजनीती, सामाजिक कार्य, तकनीकी विभाग, खेल-कूद आदि) में अपना योगदान बिना किसी डर के दे रही है। महिलायें हर जगह नेतृत्व करती दिख रही हैं बल्कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पुरुषों से दो कदम हैं। हम यह तो नहीं कह सकते की महिलाओं की स्थिति में सौ फीसदी बदलाव आया है पर इतना जरूर कह सकते हैं की महिलाएं अब अपने अधिकारों के लिए और भी अधिक जागरूक हो गयी हैं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा- भारतीय समाज के पुरुष-प्रधान होने की वजह से महिलाओं को बहुत अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। आमतौर पर महिलाओं को जिन समस्याओं से लड़ना पड़ता है उनमें प्रमुख है दहेज-हत्या, यौन उत्पीड़न, महिलाओं से लूटपाट, नाबालिग लड़कियों से राह चलते छेड़-छाड़ इत्यादि। भारतीय दंड संहिता के अनुसार बलात्कार, अपहरण अथवा बहला फुसला के भगा ले जाना, शारीरिक या मानसिक शोषण, दहेज के लिए मार डालना, पल्ली से मारपीट, यौन उत्पीड़न आदि को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। महिला हिंसा से जुड़े केसों में लगातार वृद्धि हो रही है और अब तो ये बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हिंसा से तात्पर्य है किसी को शारीरिक रूप से चोट या क्षति पहुँचाना। किसी को मौखिक रूप से अपशब्द कह कर मानसिक परेशानी देना भी हिंसा का ही रूप है। इससे शारीरिक चोट तो नहीं लगती परन्तु दिलों-दिमाग पर गहरा आधात जरूर पहुँचता है। बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि को आपाधिक हिंसा की श्रेणी में गिना जाता है तथा दफतर या घर में दहेज के लिए मारना, यौन शोषण, पल्ली से मारपीट, बदसलूकी जैसी घटनाएँ घरेलू हिंसा का उदाहरण हैं। लड़कियों से छेड़-छाड़, पल्ली को भ्रूण-हत्या के लिए मजबूर करना, विधवा महिला को सती-प्रथा के पालन करने के लिए दबाव डालना आदि सामाजिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं। ये सभी घटनाएँ महिलाओं तथा समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित कर रहीं हैं। राजधानी दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 निर्भया गैंग-रेप के स 23 साल की लड़की से किये गए सामूहिक बलात्कार ने देश को झकझोर कर रख दिया था। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में भीड़ बदलाव की मांग करती हुई सड़कों पर उत्तर आई। ऐसी घटनाओं के रोज होने के कारण इससे महिलाओं के लिए सामाजिक मापदंड बदलना नामुमकिन सा लगता है। लोगों की शिक्षा स्तर बढ़ने के बावजूद भारतीय समाज के लिए ये समस्या गंभीर तथा जटिल बन गई है। महिलाओं के विरुद्ध होती हिंसा के पीछे मुख्य कारण है, पुरुष प्रधान सोच, कमज़ोर कानून, राजनीतिक ढाँचे में पुरुषों का हावी होना तथा नाकाबिल न्यायिक व्यवस्था।

महिलाओं की सुरक्षा- महिलाओं की सुरक्षा अपने आप में ही बहुत विस्तृत विषय है। पिछले कुछ सालों में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचारों को देखकर हम यह तो बिलकुल नहीं कह सकते की हमारे देश में महिला पूर्ण तरीके से सुरक्षित है। महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस करती हैं खास तौर पर अगर उन्हें अकेले बाहर जाना हो तो। यह वाकई हमारे लिए शर्मनाक है की हमारे देश में महिलाओं को भय में जीना पड़ रहा है। हर परिवार के लिए उनकी महिला सदस्यों की सुरक्षा चिंता का मुद्दा बन चुका है। अगर महिला सुरक्षा में कुछ सुधार करने हो तो नीचे कुछ तथ्य दिए हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए हम समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं:

- सबसे पहले हर महिला को आत्म-रक्षा करने की तकनीक सिखानी होगी तथा उनके मनोबल को भी ऊँचा करने की जरूरत है। इससे महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होगी।
- अक्सर ऐसा देखा गया कि महिलाएं स्थिति की गंभीरता को किसी भी पुरुष की बजाए जल्दी भांप लेती है। अगर उन्हें किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका लगती है तो उन्हें जल्द ही कोई ठोस कदम उठा लेना चाहिए।
- महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी भी अनजान पुरुष के साथ अकेले में कही न जायें। ऐसे हालात से उन्हें अपने आप को दूर ही रखना चाहिए।
- महिलाओं को कभी भी अपने आप को पुरुषों से कम नहीं समझना चाहिए फिर चाहे वह मानसिक क्षमता की बात हो या फिर शारीरिक बल की बात हो।
- महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वे इंटरनेट या किसी भी अन्य माध्यम के द्वारा किसी भी तरह के अनजान व्यक्ति से बातचीत करते वक्त सावधान रहे और उन्हें अपना किसी भी तरह का निजी विवरण न दे।



- महिलाओं को घर से बाहर जाते वक्त हमेशा अपने साथ मिर्च स्प्रे करने का यंत्र रखना चाहिए। हालाँकि ऐसा जरूरी भी नहीं की इसी पर पूरी तरह निर्भर रहें वे किसी और विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकती है।
- अपने आप को विपरीत परिस्थिति में गिरता देख महिलाएं अपने फोन से इमरजेंसी नंबर या किसी परिजन को व्हाट्सएप्प भी कर सकती है।
- किसी भी अनजान शहर के होटल या अन्य जगह रुकना हो तो वहाँ के स्टाफ के लोगों तथा बाकी चीजों की सुरक्षा को पहले ही सुनिश्चित कर ले।

महिला सुरक्षा एक सामाजिक मसला है, इसे जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत है। महिलाएं देश की लगभग आधी जनसँख्या हैं जो शारीरिक, मानसिक, और सामाजिक रूप से पीड़ित हैं। यह देश के विकास तथा तरक्की में बाधा बन रहा है।

शिक्षा और आर्थिक विकास- ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं एवं पुरुषों में जमीन आसमान का फर्क है जबकि शहरी क्षेत्र में ऐसा नहीं है। इसका कारण है गांव में महिलाओं की कम साक्षरता दर। अगर हम केरल और मिजोरम का उदाहरण ले तो ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं। इन दोनों राज्यों में महिला साक्षरता दर पुरुषों के बराबर है। महिला साक्षरता दर में कमी का मुख्य कारण है पर्याप्त विद्यालयों की कमी, शौचालयों की कमी, महिला अध्यापकों की कमी, लिंग भेदभाव आदि। आंकड़ों के अनुसार 2015 में महिला साक्षरता दर 60.6: थी जबकि पुरुष साक्षरता दर 81.3% थी।

भारत में महिला अपराध- भारत में महिला अपराध की फेहरिस्त देखी जाये तो यह बहुत लंबी है। इसमें तेजाब फैक्ना, जबरदस्ती वैश्यावृत्ति, यौन हिंसा, दहेज हत्या, अपहरण, और किलिंग, बलात्कार, भ्रूण हत्या, मानसिक उत्पीड़न आदि शामिल हैं।

महिला सुरक्षा से जुड़े कानून- भारत में महिला सुरक्षा से जुड़े कानून की लिस्ट बहुत लंबी है इसमें चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिन्दू मैरिज एक्ट 1955, हिन्दू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, इंडियन पीनल कोड 1860, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861, फॉरेन मैरिज एक्ट 1969, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1969, क्रिस्तियन मैरिज एक्ट 1872, मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल कमीशन फॉर वुमन एक्ट 1990, सेक्सुअल हर्स्मेंट ऑफ वुमन एट वर्किंग प्लेस एक्ट 2013 आदि। इसके अलावा 7 मई 2015 को लोक सभा ने और 22 दिसंबर 2015 को राज्य सभा ने जुवेनाइल जस्टिस बिल में भी बदलाव किया है। इसके अन्तर्गत यदि कोई 16 से 18 साल का किशोर जघन्य अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे भी कठोर सजा का प्रावधान है (खास तौर पर निर्मया जैसे केस में किशोर अपराधी के छूट जाने के बाद)।

भारत में महिलाओं के मार्ग में आने वाली बाधाएं-

1) सामाजिक मापदंड- पुरानी और रुदीवादी विचारधाराओं के कारण भारत के कई सारे क्षेत्रों में महिलाओं के घर छोड़ने पर पाबंदी होती है। इस तरह के क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षा या फिर रोजगार के लिए घर से बाहर जाने के लिए आजादी नहीं होती है। इस तरह के वातावरण में रहने के कारण महिलाएं खुद को पुरुषों से कमतर समझने लगती हैं और अपने वर्तमान सामाजिक और आर्थिक दशा को बदलने में नाकाम साबित होती हैं।

2) कार्यक्षेत्र में शारीरिक शोषण- कार्यक्षेत्र में होने वाला शोषण भी महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी बाधा है। नीजी क्षेत्र जैसे कि सेवा उद्योग, साप्टवेयर उद्योग, शैक्षिक संस्थाएं और अस्पताल इस समस्या से सबसे ज्यादे प्रभावित होते हैं। यह समाज में पुरुष प्रधनता के वर्चस्व के कारण महिलाओं के लिए और भी समस्याएं उत्पन्न करता है। पिछले कुछ समय में कार्यक्षेत्रों में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़ने में काफी तेजी से वृद्धि हुई है और पिछले कुछ दशकों में लगभग 170 प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है।

3) लैंगिंग भेदभाव- भारत में अभी भी कार्यस्थलों महिलाओं के साथ लैंगिंग स्तर पर काफी भेदभाव किया जाता है। कई सारे क्षेत्रों में तो महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाने की भी इजाजत नहीं होती है। इसके साथ ही उन्हें आजादीपूर्वक कार्य करने या परिवार से जुड़े फैलसे लेने की भी आजादी नहीं होती है और उन्हें सदैव हर कार्य में पुरुषों के अपेक्षा कमतर ही माना जाता है। इस प्रकार के भेदभावों के कारण महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक दशा बिगड़ जाती है और इसके साथ ही यह महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को भी बुरे तरह से प्रभावित करता है।

4) भुगतान में असमानता- भारत में महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है और असंगतिक्षेत्रों में यह समस्या और भी ज्यादे दयनीय है, खासतौर से दिहाड़ी मजदूरी वाले जगहों पर तो यह सबसे बदतर है। समान कार्य को समान समय तक करने के बावजूद भी महिलाओं को पुरुषों के अपेक्षा काफी कम भुगतान किया जाता है और इस तरह के कार्य महिलाओं और पुरुषों के मध्य के शक्ति असमानता को प्रदर्शित करते हैं। संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के तरह समान अनुभव और योग्यता होने के बावजूद पुरुषों के अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है।

5) अशिक्षा- महिलाओं में अशिक्षा और बीच में पढ़ाई छोड़ने जैसी समस्याएं भी महिला सशक्तिकरण में काफी बड़ी बाधाएं हैं। वैसे तो शहरी क्षेत्रों में लड़कियों शिक्षा के मामले में लड़कों के बराबर हैं पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस मामले वह काफी पीछे हैं। भारत में महिला शिक्षा दर 64.6 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की शिक्षा दर 80.9 प्रतिशत है। काफी सारी ग्रामीण लड़कियां जो स्कूल जाती भी हैं, उनकी पढ़ाई भी बीच में ही छूट जाती है और वह दसवीं कक्षा भी नहीं पास कर पाती है।

6) बाल विवाह- हालांकि पिछले कुछ दशकों सरकार द्वारा लिए गये प्रभावी फैसलों द्वारा भारत में बाल विवाह जैसी कुरीति को काफी हद तक कम कर दिया गया है लेकिन 2018 में यूनिसेफ के एक रिपोर्ट द्वारा पता चलता है, कि भारत में अब भी हर वर्ष लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है, जबकि शादी हो जाने के कारण महिलाओं का विकास रुक जाता है और वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से व्यस्क नहीं हो पाती है।



7) महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध- भारतीय महिलाओं के विरुद्ध कई सारे घरेलू हिंसाओं के साथ दहेज, हॉनर किलिंग और तस्करी जैसे गंभीर अपराध देखने को मिलते हैं। हालांकि यह काफी अजीब है कि शहरी क्षेत्रों की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के अपेक्षा अपराधिक हमलों की अधिक शिकार होती हैं। यहां तक कि कामकाजी महिलाएं भी देर रात में अपनी सुरक्षा को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग नहीं करती है। सही मायनों में महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और पुरुषों के तरह वह भी बिना भय के स्वच्छंद रूप से कही भी आ जा सकें।

8) कन्या भ्रूण हत्या- कन्या भ्रूण हत्या या फिर लिंग के आधार पर गर्भपात भारत में महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाले सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ लिंग के आधार पर होने वाली भ्रूण हत्या से है, जिसके अंतर्गत कन्या भ्रूण का पता चलने पर बिना माँ के सहमति के ही गर्भपात करा दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेशों में स्त्री और पुरुष लिंगानुपात में काफी ज्यादे अंतर आ गया है। हमारे महिला सशक्तिकरण के यह दावे तब तक नहीं पूरे होंगे जबतक हम कन्या भ्रूण हत्या के समस्या को भिटा नहीं पायेंगे।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका- भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलायी जाती हैं। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलायी जा रही हैं। इन्हीं में से कुछ मुख्य योजनाओं के विषय में नीचे बताया गया है।

- 1) बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना
- 2) महिला हेल्पलाइन योजना
- 3) उज्जवला योजना
- 4) सपोर्ट टू ड्रेनिंग एंड एम्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन (स्टेप)
- 5) महिला शक्ति केंद्र
- 6) पंचायाती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण

निष्कर्ष- भले ही पूर्व में महिलाओं की स्थिति सही नहीं रही परन्तु आज महिलाये उभर कर आ रही है। महिलाये आज जमाने के साथ कदम से कदम मिला कर चल रही है। हमें भी महिलाओं का सहयोग करना चाहिए। हमारे देश की आधी जनसँख्या का प्रतिनिधि तत्व महिलाएं करती है। इसका मतलब देश की उन्नति का आधा दारोमदार महिलाओं पर और आधा पुरुषों के कंधे पर निर्भर करता है। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस समय का जब इसी आधी जनसँख्या को वे मूलभूत अधिकार भी नहीं मिल पाते थे जिनकी वे हकदार हैं। उन्हें अपनी जिंदगी अपनी खुशी से जीने की भी आजादी नहीं थी। परन्तु बदलते वक्त के साथ इस नए जमाने की नारी ने समाज में वो स्थान हासिल किया जिसे देखकर कोई भी आश्चर्यचकित रह जायेगा। आज महिलाएं एक सफल समाज सुधारक, उद्धमी, प्रशासनिक सेवक, राजनयिक आदि हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार ने देश के आर्थिक और सामाजिक सुधार के मायने भी बदल कर रख दिए हैं। दूसरे विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर है। यद्यपि हम यह तो नहीं कह सकते कि महिलाओं के हालात पूरी तरह बदल गए हैं पर पहले की तुलना में इस क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति पहले से अधिक सचेत हैं। उदाहरण के तौर पर मतदान के दिन मतदान केंद्र पर हमें पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की उपस्थिति नजर आएगी। इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी बेसंट, महादेवी वर्मा, सुचेता कृपलानी, पी.टी. उषा, अमृता प्रीतम, पदमजा नायडू, कल्पना चावला, राजकुमारी अमृत कौर, मदर टेरेसा, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि कुछ ऐसे नाम जिन्होंने महिलाओं की जिंदगी के मायने ही बदल कर रख दिए हैं। जिस तरह से भारत सबसे तेजी आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमें महिला सशक्तिकरण के इस कार्य को समझने की आवश्यकता है क्योंकि इसी के द्वारा ही देश में लैंगिंग समानता और आर्थिक तरक्की को प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अहूजा, राम, 2002, सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन जयपुर।
2. खण्डेका, मानचार्द, 2000, "समाज और नारी" अरिहन्त पब्लिकेशन हाउरा जयपुर।
3. अहूजा, राम, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, रावत पब्लिकेशन जयपुर।
4. शर्मा, राजेन्द्र कुमार 1996, ग्रामीण समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर।
5. प्रसाद, गोविन्द 2007, महिला एवं बालश्रमिक सामाजिक समस्याएं, समाधान एवं भावीद्विषिकोण, डिस्कवरी पब्लिशिंगहाउस नई दिल्ली।
6. लारेस, जार्सिन, 2010, महिला श्रमिक सामाजिक स्थिति एवं समस्याएं अर्जुन पब्लिशिंगहाउस, नई दिल्ली।
7. कपूर, प्रमिला, 1973, भारत में विवाह और कामकाजी महिलाएं राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
8. इन्द्र, एमोण, 1995, प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति मोतीलाल पब्लिशर्स, बनारस।
